भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3025 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024/18श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों में प्रतिबंधित रसायन

†3025. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित 'ऑर्थो-क्लोरी बेंजीलीन मैलोनोट्राइल'जिसे सीएस के नाम से भी जाना जाता है, की एक खेप हाल ही में चेन्नई के निकट एक निजी मल्टी-कार्गो पत्तन कट्टुपल्ली से जब्त की गई/रोक ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क)से (ग):राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की चेन्नै क्षेत्रीय इकाई को जानकारी प्राप्त हुई और उसने दिनांक 09.05.2024 को पोत 'हुंडई शंघाई'द्वारा कट्टुपल्ली पत्तन ले जाई जा रही 'ऑर्थो-क्लोरी बेंजीलीन मैलोनोट्राइल'की एक खेप जब्त की।

डीआरआई ने 'ऑर्थो-क्लोरी बेंजीलीन मैलोनोट्राइल'को उस समय जब्त किया, जब अन्य खेपों कोउसी कंटेनर में भरकर गंतव्य पत्तन की आगे की यात्रा के लिए शिपिंग लाइनर को जारी किया गया था।

*****